

परिशिष्ट -क'

तदनुसार बरमान को पवित्र क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए शासन के विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

| क्र | कार्यवाही  | विभाग  |
|-----|--|--|
| 1   | मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना।   | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  |
| 2   | धार्मिक त्यौहारों को चिन्हांकित कर ऐसे अवसरों पर होने वाले विभिन्न उत्सव/सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन।                         | संस्कृति विभाग   |
| 3   | पवित्र क्षेत्र में मदिरा, मांस, मछली एवं अण्डा आदि वस्तुओं का विक्रय निषेध करना तथा पशु-पक्षियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम। | वाणिज्यिक कर विभाग/<br>नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/<br>गृह विभाग/<br>पशुपालन विभाग |
| 4   | पवित्र क्षेत्र में श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए आवागमन का विकास करना।  | लोक निर्माण विभाग/<br>परिवहन विभाग   |